प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या–283 /VI/2014–82(4)2

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई 2014

विषयः–संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध उत्तराखण्ड के प्रत्येक मण्डल के दो–दो लोक सांस्कृतिक दलो को चयनित कर प्रतिवर्ष 2.00–2.00 लाख की धनराशि अनुदान स्वरूप दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा –निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या 125/V-2/2014–82(4)/2014 दिनांक 5.03.2014 के अनुक्रम में आपके पत्र संख्या–270/सं0नि0उ0/दो–3(कार्यक्रम)/2014– 15 दिनांक 09 मई 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक मण्डल के दो–दो लोक सांस्कृतिक दलों को, जो लोक संस्कृति के संरक्षण –संवर्द्धन एवं उन्नयन एवं इस क्षेत्र में सतत रूप से कार्यरत् हो, को चयनित कर प्रतिवर्ष 2.00–2.00 लाख की धनराशि अनुदान स्वरूप दिये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित दिशा– निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– अनुदान हेतु प्रतिवर्ष संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध सांस्कृतिक दलों द्वारा अनुदान हेतु **अनुलग्नक 'क'** के अनुसार आवेदन, जिला प्रशासन की संस्तुति सहित संस्कृति निदेशालय को निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

2– अनुदान हेतु लोक सांस्कृतिक दलों का चयन निदेशक, संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा विभिन्न मानकों /मापदण्डों यथा– सांस्कृतिक दलों के कला प्रदर्शन, कला की मौलिकता एवं इस क्षेत्र में सम्बन्धित दल का योगदान आदि को दृष्टिगत रखते हुए चयनोपरान्त अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

चयन समिति

(i)	निदेशक, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
(ii)	किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों अथवा किसी संगीत विश्वविद्यालय के लोक संगीत/संगीत संकाय के संकायाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देहरादून/अल्मोड़ा/पौड़ी के लोक संगीत/लोकनृत्य संकाय के प्रवक्ता	सदस्य
(iv)	संस्कृति निदेशालय के लेखा कार्य से सम्बन्धित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार	सदस्य

3– गठित समिति सांस्कृतिक दलों के प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर अनुदान हेतु संस्तुति प्रदान करेंगी। चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

4– सांस्कृतिक दलों को तीन श्रेणियों में रखा जायेगा।
(क) सामान्य श्रेणी (जिस सांस्कृतिक दल में 75 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के सदस्य हों)
(ख) अनुसूचित जाति(जिस सांस्कृतिक दल में 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति श्रेणी के सदस्य हों)
(ग) अनुसूचित जनजाति (जिस सांस्कृतिक दल में 75 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सदस्य हों)

5– अनुदान की राशि विशेष रूप से सांस्कृतिक दल को पारम्परिक वेश–भूषा, वाद्ययंत्रों के क्रय अथवा विलुप्त हो रही लोक विद्याओं/लोक संस्कृति के संरक्षण–संवर्द्धन हेतु कार्यशाला आयोजनार्थ प्रदान की जायेगी।

6– चयन समिति द्वारा चयनित दलों को पुरस्कार राशि का भुगतान कोषागार चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा। भुगतान की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सांस्कृतिक दल द्वारा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

7– उक्त के लिए धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जायेगी कि इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग /योजना तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो तथा न ही आगामी 05 वर्षो में किया जायेगा। इसके लिए कार्यशाला संयोजक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

8– अनुदान हेतु चयनित सांस्कृतिक दल अगले पांच वर्ष की अवधि तक पुनः अनुदान हेतु पात्र नहीं होंगे।

9– योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– उक्त योजनान्तर्गत व्यय अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–03–स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 62(P)/XXVII(3)/2014–15 दिनांक 01 जुलाई 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–283/VI/2014–82(4)2014तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक सूचना विभाग उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उप सचिव

अनुलग्नक–क

शासनादेश संख्या–283 /VI/2014–82(4)2014 का संलग्नक।

आवेदन पत्र का प्रारूप–

1– सांस्कृतिक दल का नाम————————————————

2– सांस्कृतिक दल के दलनायक का नाम, पिता/पति का नाम, स्थाई तथा अस्थाई पता, दूरभाष नं0 ————————————————

3– सांस्कृतिक दल का पूर्ण पता एवं दूरभाष नं0 ————————————

4– सांस्कृतिक दल का पंजीयन प्रमाण पत्र स्मृति पत्र (1860 के अन्तर्गत) की प्रति संलग्न की जायेगी–

5– सांस्कृतिक दल की विधा (कार्यक्रम प्रस्तुति की विधा है)————————

6– सांस्कृतिक दल के कुल कलाकारों की संख्या एवं प्रत्येक कलाकार का विवरण निम्नानुसार संलग्न करना अनिवार्य है।————

(कलाकार का नाम, पिता/पति का नाम, स्थाई एवं अस्थाई पता, दूरभाष नं0 , हस्ताक्षर एवं स्वहस्ताक्षरित नवीनतम छायाचित्र।)

7– सांस्कृतिक दल द्वारा विगत वर्षों में (संस्कृति विभाग को छोड़कर) जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा इस हेतु प्राप्त विशिष्ट प्रशस्ति पत्र/पुरस्कार आदि का विवरण (छायाप्रतियां सलग्न की जाय)–

8– सांस्कृतिक दल की श्रेणी–

क–सामान्य श्रेणी (जिस सांस्कृतिक दल में 75 प्रतिशत कलाकार सामान्य श्रेणी के हों)

ख–अनुसूचित जाति (जिस सांस्कृतिक दल में 75 प्रतिशत कलाकार अनुसूचित जाति श्रेणी के हों)

ग–अनुसूचित जनजाति (जिस सांस्कृतिक दल में 75 प्रतिशत कलाकार अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हो)

9– संस्कृति विभाग द्वारा विगत वर्षों में सांस्कृतिक दल को यदि कोई आर्थिक सहायता या वाद्ययंत्र तथा वेश–भूषा उपलब्ध कराये गये हैं तो इसका निम्नानुसार वर्षवार विवरण–

1–आर्थिक सहायता/अनुदान का परियोजन, धनराशि तथा वर्ष	2–पारम्परिक वेश–भूषा तथा वाद्ययंत्र उपलब्ध कराये जाने का वर्ष

10– सांस्कृति दल का पैन कार्ड नम्बर (छायाप्रति)————————————

11– सांस्कृतिक दल का बैंक खाता न0, बैंक का नाम आदि विवरण (छायाप्रति)–

12– सांस्कृतिक दलों के आवेदन पत्र के साथ दल के समस्त कलाकारों के स्वप्रमाणित छायाचित्र, नाम, पिता/पति का नाम, स्थाई पता /पत्रव्यवहार का पता तथा दूरभाष नं0 आदि पूर्ण विवरण उल्लिखित कर संलग्न किया जाय।